रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 1979/अग्रहायण 17, 1901

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 1979/AGRAHAYANA 17, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1979

सा० का० नि० 1446—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8-ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, उत्तर प्रदेश से संबंधित, शीर्ष 13, उत्तर प्रदेश के नीचे, मद (क) और (ख) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(क) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
(i) श्री वी० के० बर्मन, केन्द्रीय सरकार अपर स्थायी काउंसेल।
(ii) श्री रवि एस० धवन, केन्द्रीय सरकार अपर स्थायी काउंसेल।
(iii) श्री चन्द्र किशोर, केन्द्रीय सरकार अपर स्थायी काउंसेल।
(iv) श्री अशोक मल्होत्रा, केन्द्रीय सरकार अपर स्थायी काउंसेल।
(v) श्री आर० एच० जैदी, केन्द्रीय सरकार अपर स्थायी काउंसेल।

(ख) उच्च न्यायालय, लखनऊ न्यायपीठ
(i) श्री ओ० एल० शुक्ल, केन्द्रीय सरकार स्थायी काउंसेल।
(ii) श्री ए० एन० त्रिवेदी, केन्द्रीय सरकार अपर स्थायी काउंसेल।
(iii) श्री ब्रिजेश कुमार, केन्द्रीय सरकार अपर स्थायी काउंसेल।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1979 से प्रवृत्त होगी।

[सं० एफ-36 (11)/79—न्यायिक]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 30th October, 1979

G.S.R. 1446.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Rule 8-B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late

तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के पश्चिमी क्षेत्र के महा प्रबंधक को क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तरी क्षेत्र, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के स्थान पर कांडला पत्तन के न्यासियों के बोर्ड में नियुक्त करती है, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 365(ई) दिनांक 11 जून, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या II के सामने प्रविष्टि "क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तरी क्षेत्र, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली" के स्थान पर प्रविष्टि "महा प्रबंधक, पश्चिमी क्षेत्र, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई" रखी जाए।

[फा० सं० पी० टी० बी-36/79]
एस० पी० जैन, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 20th November, 1979

G.S.R. 1474.—In exercise of the powers conferred by section 13, read with sub-section (1) and (6) of section 3, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints General Manager, Western Region, Indian Oil Corporation Limited, Bombay, on the Board of Trustees of the Port of Kadla, vice Regional Manager, Northern Region, Indian Oil Corporation Limited, New Delhi, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 365(E), dated the 11th June, 1979, namely :—

In the said notification, against Serial Number 11, for the entry "Regional Manager, Northern Region, Indian Oil Corporation Limited, New Delhi", the entry "General Manager, Western Region, Indian Oil Corporation Limited, Bombay", shall be substituted.

[F. No. PTB-36/79]
S. P. JAIN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1979

सा० का० नि० 1475.—केन्द्रीय सरकार महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 123 के (च) से (म) तक के खंडों द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन के न्यासियों के बोर्ड द्वारा निर्मित और गुजरात सरकार के दिनांक 19 जुलाई, 1979 और 26 जुलाई, 1979 के राजपत्र में प्रकाशित कांडला पत्तन न्यास (स्टीवीडोरों को लाइसेंस देना और अन्य संबंधित विषय) विनियम 1979 का अनुमोदन करती है।

[फा० सं० पी० डब्ल्यू-पी० जी० एल-49/79]
सुदर्शन वसुदेव, उप सचिव

New Delhi, the 20th November, 1979

G.S.R. 1475.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust (Licensing of Stevedores and Allied Matters) Regulations, 1979, made by the Board of Trustees of the Port of Kandla in exercise of the powers conferred by clauses (f) to (o) of section 123 of the said Act, and published in the Gujarat Government Gazette dated the 19th July, 1979 and the 26th July, 1979.

[PW-PGL-49/79]
S. VASUDEV, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1979

सा० का० नि० 1476.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बंबई पत्तन के न्यासी मण्डल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्मित और महाराष्ट्र सरकार के 26 जुलाई, 1979 और 2 अगस्त, 1979 के राजपत्र में प्रकाशित बंबई पत्तन न्यास विनियम (भविष्य निधि) के विनियम 21 के संशोधन का अनुमोदन करती है।

[सं० पी० ई० बी-17/78]
विश्वानाथ शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 24th November, 1979

G.S.R. 1476.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963(, the Central Government hereby approves of the amendment to regulation 21 of the Bombay Port Trust Regulations of the Provident Fund made by the Board of Trustees of the Port of Bombay in exercise of the powers conferred by section 28 read with sub-section (2) of section 124 of the said Act and published in the Maharashtra Government Gazette, dated the 26th July, 1979 and the 2nd August, 1979.

[No. PEB-17/78]
V. N SHARMA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1979

सा० का० नि० 1477.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में:—

(i) क्रमशः प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी पर्यवेक्षक और रेडियो तकनीकी पदों से संबंधित क्रम संख्यांक 12, 16 और 19 में, निम्नलिखित टिप्पण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पण : प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी पर्यवेक्षक और रेडियो तकनीकी के पदधारी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ज्येष्ठ तकनीकी की श्रेणी में आमेलित हो जाएंगे और तद्नुसार उनके पद संपरिवर्तित हो जाएंगे।

(ii) टेलीप्रिंटर आपरेटर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 42 के नीचे, निम्नलिखित टिप्पण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

टिप्पण: टेलीप्रिंटर आपरेटर के पदधारी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ज्येष्ठ तकनीकी की श्रेणी में आमेलित हो जाएंगे और तद्नुसार ये पद संपरिवर्तित हो जाएंगे।"

[सं० 704/11/77-बी० (डी०)]
वी० कृष्णन्, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th September, 1979

G.S.R. 1477.—In exercise of the powers conferred by th proviso to article 309 of the Constitutions, the Presider hereby makes the following rules further to amend the A

India Radio (Class III Posts), Recruitment Rules, 1964 namely :—

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Class III Posts/Recruitment Amendment) Rules, 1979

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III Posts) Recruitment Rules, 1964 :—

(i) in serial numbers 12, 16 and 19 relating to the posts of Laboratory Assistant, Technical Supervisor and Radio Technician, respectively below each serial number the following Note shall be inserted, at the end namely :—

"Note.—The incumbants of the posts of Laboratory Assistant, Technical Supervisor and Radio Technician, as on the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall stand absorbed in the grade of Senior Technician and their posts shall stand accordingly converted."

(ii) below serial number No. 42 relating to the post of Telecine Operator, the following Note shall be inserted, namely :—

"Note.—The incumbants of the post of Telecine Operator, as on the date of publication of this notification in the Official Gazette shall stand absorbed in the grade of Technician and the posts shall accordingly stand converted."

[No. 704/11/77-B(D)]

V. KRISHNAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1979

सा०का०नि० 1478.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म प्रभाग में स्वागत कर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम फिल्म प्रभाग (स्वागतकर्ता) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
स्वागतकर्ता	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, लिपिकवर्गीय	260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रुपए	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष तक। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य और हिन्दी का ज्ञान। (ii) स्वागतकर्ता के रूप में एक वर्ष का अनुभव।